

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 126

जोधपुर, दिनांक 11-4-2007

आदेश

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2333 दिनांक 21.11.2006 (आर0ई0ओ0-126) एवं 3218 दिनांक 24.02.2007 (आर0ई0ओ0-130) द्वारा कृषि नीति-2004 विन्दु संख्या 7(i) से (iv) (स) में कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शनों में मांग पत्र में तुरन्त प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया था । इसी क्रम में विन्दु संख्या 7(iv)(स) में निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

7(iv)(स)	1. शौर्य चक्र, अशोक चक्र एवं वीर चक्र से अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या पुत्र/पुत्री के नाम, जमीन नहीं हो तो उसके माता/पिता को संबन्धित सैनिक/अर्द्धसैनिक संस्था से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होन पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन ।	तुरन्त प्राथमिकता
	2. राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी पत्नी/पुत्र/पुत्री के नाम से पूर्व में कृषि कनेक्शन नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन ।	तुरन्त प्राथमिकता

यह आदेश 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी माना जायेगा ।

11.4.07
[एम.एल.त्रिपाठी]

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- ❖ शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- ❖ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, अजमेर ।
- ❖ सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एंव लेख नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- ❖ उपमुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड.सी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ प्रावै.सहायक माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संघा./सतर्कता/टी.डब्ल्यू/वाणिज्य/एमएण्डपी/वीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाडमेर/बीकानेर/जैसलमेर/धुरु/श्रीगगानगर/हनुमानगढ़
- ❖ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।